आज माननीय राज्यपाल रहेंगे शहडोल जिले के प्रवास पर

शहडोल, देशबन्धु। प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल 25 फरवरी 2025 को शहडोल जिले के प्रवास पर रहेंगे। प्रवास के दौरान माननीय राज्यपाल शहडोल जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माननीय राज्यपाल 25 फरवरी 2025 को प्रात: 9 बजे कार द्वारा स्टेट हैंगर से प्रात: 9:10 बजे एयरपोर्ट भोपाल पहुंचेगे, प्रात: 9:15 बजे एयरपोर्ट भोपाल से हैलीकैप्टर द्वारा शहडोल जिले के जमुई हैलीपेड के लिए प्रस्थान कर, प्रात: 11:05 बजे जमुई हैलीपेड पहुंचेगे, प्रात: 11:10 बजे कार द्वारा शहडोल के पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के लिए प्रस्थान कर 11:20 बजे पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय पहुंचेगे तथा प्रात: 11:20 से 11:30 बजे तक का समय आरक्षित रहेगा। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल 25 फरवरी को प्रात: 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल के दीक्षांत समारोह में सहभागिता निभाएंगे।

माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल दोपहर 1 बजे कार द्वारा ग्राम धुरवार के लिए प्रस्थान कर दोपहर 1:15 बजे धुरवार पहुंचेगे, दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक ग्राम धुरवार का दौरा, पीएम जनमन आवास और लाभार्थियों के साथ चर्चा एवं लाभार्थी के घर पर दोपहर का भोजन करेंगे। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल दोपहर 2:15 बजे जमुई हैलीपेड के लिए प्रस्थान कर दोपहर 2:30 बजे जमुई हैलीपेड पहुंचेगे तथा जिला छतरपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

शहडोल, देशबन्धु। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की उपस्थिति में आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने सीएम हेल्पलाईन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों को गंभीरता से लें तथा समयावधि में शिकायतों का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता से बात करें, शिकायतों को समझें तथा संतुष्टिपूर्वक निराकरण करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में शिकायतों का निम्नगुणवत्ता के साथ निराकरण न हो। बैठक में कलेक्टर ने 25 फरवरी 2025 को प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल के प्रवास के दौरान शहडोल जिले में आयोजि होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी ली तथा कार्यक्रमों की तैयारियों हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसी प्रकार कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग,जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, सहकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर श्री अरविंद शाह, सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बांधवगढ़ में बाघ शावक की मौत

आपसी संघर्ष में मौत का अंदेशा, जंगल में सन्नाटा

उमरिया, देशबन्धु। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली परिक्षेत्र में एक बाघ शावक की मौत से जंगल में सन्नाटा छा गया है। रविवार को सलखनिया के कक्ष क्रमांक 384 में लगभग 8 महीने के इस शावक का शव बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शावक की मौत आपसी संघर्ष के कारण हुई है।

क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि घटनास्थल के आस-पास दूसरे बाघ के पग चिह्न स्पष्ट रूप से देखे गए हैं। परिक्षेत्र अधिकारी स्वस्ति श्री जैन ने कहा कि स्थानीय श्रमिकों ने बाघ और शावक के बीच जोरदार संघर्ष की आवाजें सुनी थीं, जिसके बाद उन्होंने शावक का शव देखा। डॉक्टर्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर शावक के शव का पोस्टमॉर्टम किया। जांच में पाया गया कि

शावक की मौत श्वास नली के खंडित होने और गर्दन की हड्डियों के टूटने से हुई है। इसके अलावा शावक के शरीर पर कई अन्य चोटों के निशान भी देखे गए, जो संघर्ष की पुष्टि करते हैं।

अंतिम संस्कार और सुरक्षा इंतजाम-बीटीआर प्रबंधन ने नियमों के तहत शावक का अंतिम संस्कार कर दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। दो प्रशिक्षित हाथियों की सहायता से जंगल में लगातार गश्त की जा रही है ताकि किसी अन्य अप्रिय घटना को टाला जा सके। अधिकारी संघर्ष के कारणों की गहन जांच कर रहे हैं।

दूसरी घटना से जुड़ाव की जांच-गौरतलब है कि शनिवार को पाली वन परिक्षेत्र के करकटी बीट में भी एक बाघ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। वहां प्रथम दृष्टि में आपसी संघर्ष की आशंका जताई गई थी और जांच के लिए डॉग एस्कॉर्ट की मदद ली गई थी। अधिकारियों ने दोनों घटनाओं के बीच किसी संभावित संबंध की भी जांच शुरू कर दी है।

सार-समाचार

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के लिए सदस्यों की संख्या अधिसूचित

शहडोल, देशबन्धु। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने ओदश जारी किया है कि जिले के जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है। इस हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के लिए सदस्यों की संख्या अधिसूचित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से 13, शहरी क्षेत्र में नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों में से 02, नगर परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से 01 सदस्य अधिसूचित किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम के लिए जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित पीठासीन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतपुर, शहडोल एवं धनपुरी नगरपालिका शहरी क्षेत्र हेतु श्री भागीरथी लहरे डिप्टी कलेक्टर, बुढ़ार,जयसिंहनगर, ब्यौहारी,खांड, बकहो नगर परिषद शहरी क्षेत्र हेतु श्रीमती प्रगति वर्मा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर को नियुक्त किया है।

मदिरा दुकानों का लॉटरी के माध्यम से निष्पादन की तिथियां निर्धारित

शहडोल,देशबन्धु। जिला आबकारी अधिकारी शहडोल ने जानकारी दी है कि जिले में वर्ष 2025-26 हेतु मदिरा दुकानों के एकल समूहों का लॉटरी के माध्यम से निष्पादन हेतु कार्यक्रम एवं तिथियां निर्धारित की गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित दुकानों के एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को ऑफलाईन एवं आनलाईन दोनों माध्यमों से जिला आबकारी कार्यालय शहडोल से दिनांक 22 फरवरी 2025 से प्रात: 10 बजे से दिनांक 27 फरवरी 2025 को दोपहर 01:30 बजे तक लॉटरी आवेदन पत्र क्रय कर सकते हैं। इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा ऑफलाईन एवं आनलाईन दोनों माध्यमों से लाटरी आवेदन पत्र जिला आबकारी कार्यालय शहडोल में 22 फरवरी 2025 से प्रात: 10 बजे से दिनांक 27 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं एवं 27 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे से कलेक्ट्रट शहडोल में कार्यवाही पूर्ण होने तक नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने खोलने एवं निराकरण कार्यक्रम किया जाएगा।

108 एंबुलेंस सेवा लोगों को कर रही है निराश

ब्यौहारी, देशबन्धु। ब्यौहारी-क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित 108 की सेवा जिसको जय अंबे सर्विस द्वारा संचालित किया जा रहा है कंपनी द्वारा लोगों की सहूलियत के लिए बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन समय पर लोगों को गाड़ियां नहीं मिल पाती क्योंकि कंपनी द्वारा जनता और शासन को गुमराह किया जा रहा है जिले में जितनी गाड़ियों को संचालित दिखाया जाता है उनमें से अधिकांश गाड़ियां गैरेज में खराब पड़ी हुई है जैसे व्यवहारी क्षेत्र में तीन गाड़ियां हैं बाणसागर निपानिया और व्यवहारी लेकिन अधिकांश दो गाड़ियां खराब रहती हैं एक गाड़ी से कम चलाया जाता है जैसे मान लीजिए एक गाड़ी किसी को छोड़ने चली गई और जब तक वह नहीं आती तब तक मरीज को घंटे इंतजार करना पड़ता है और जो गरीब मरीज रहते हैं उनकी जान भी चली जाती है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा मेंटेनेंस में गई गाड़ियों का भी भुगतान समय से नहीं किया जाता इसलिए अब मेंटेनेंस के कर्मचारी भी कंपनी की गाड़ी नहीं बनाते जिले में जितनी गाड़ियों को दिखाया जा रहा है उनमें से सिर्फ 20त्न गाड़ियां ही दौड़ रही सही मेंटेनेंस ना होने के कारण आए दिन गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो रहा है एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट का ठीकरा पायलट के सिर पर फोड़ कर कंपनी बच जाती है पायलट एवं कर्मचारियों का पेमेंट भी रोक दिया जाता। क्षेत्र वासियों ने ठेका कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है ।

कलेक्टर ने माननीय राज्यपाल के उमरिया भ्रमण के तैयारियों की समीक्षा की

उमरिया, देशबन्धु। मध्यरप्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का उमरिया जिले में 27 फरवरी को भ्रमण प्रस्तावित है । माननीय राज्यपाल के भ्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन एवं सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने कार्यक्रम स्थल भरौला एवं लोढ़ा का भ्रमण किया तथा ग्राम पंचायत कार्यालय लोढ़ा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्व सौंपते हुए तैयारियों के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में अब तक की गई तैयारियों तथा शेष तैयारियों की समीक्षा की। सभी अधिकारियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी तैयार करनें के निर्देश भी दिए । इस अवसर पर एसडीएम बांधवगढ रीता डेहरिया, एसडीओपी नागेन्द्र सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर अंबिकेश प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार चंदिया कर्तव्य अग्रवाल सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे ।

मझौली थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित

बारातघर तथा डीजे बाजा संचालकों को ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए दी समझाइस

मझौली, देशबन्धु। आने वाले आगामी त्योहारों में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा वर्तमान में संचालित 10-12 वी की बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय एव मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग के जारी निर्देश के पालन हेतु पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ रवींद्र वर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, एसडीओपी कुसमी मझौली रोशनी सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मझौली दीपक सिंह बघेल द्वारा आज 24 फरवरी सोमवार को मझौली थाना प्रांगण में एसडीएम मझौली आरपी त्रिपाठी, एसडीओपी कुसमी मझौली सुश्री रोशनी सिंह, नायब तहसीलदार मझौली आशीष मिश्रा, नगर परिषद प्रभारी सीएमओ अमित सिंह, की विशेष उपस्थिति में शांत समिति की बैठक आयोजित की गई।

जहां मझौली थाना का क्षेत्र अन्तर्गत के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक, बारात घर तथा डीजे बाजा संचालक उपस्थित रहे। बैठक के प्रारंभ में थाना प्रभारी द्वारा बैठक में उपस्थित जनों से महाशिवरात्रि के पर्व के दिन क्षेत्र में लगने वाले मेलो तथा होली पर्व पर सामूहिक होलिका दहन गांव एवं स्थलों की जानकारी ली गई साथ ही थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसे लोगों की भी जानकारी ली गई है जो ऐसे कार्यक्रमों में हमेशा उद्दंडता कर कार्यक्रम में बाधा डालते हो और उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण पूर्व में दर्ज हो। जिसकी जानकारी उपस्थित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ जनों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तत्पश्चात एसडीएम मझौली द्वारा बारात घर तथा डीजे बाजा संचालकों को विधिवत जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा संचालित है बच्चों के पठन-पाठन मे बुरा प्रभाव न पड़े जिसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के उपयोग के लिए उच्च न्यायालय व शासन द्वारा गाइड लाइन जारी की गई है। जिसका पालन करना अनिवार्य है।

वही एसडीओपी कुसमी मझौली सुश्री रोशनी सिंह ठाकुर द्वारा इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए चेताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय तथा मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संबंधित जानो के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसलिए उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा तय डेसिमल के आधार पर ही ध्वनि विस्तार के यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न की जाए। रात्रि 10 बजे के बाद बिना परमिशन के किसी भी कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र ना बजाया जाए। बैठक के अंत में थाना प्रभारी मझौली दीपक सिंह द्वारा बारात घर तथा डीजे बाजा संचालकों को समझाइए देते हुए कहा गया है की माननीय उच्च न्यायालय एवं मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग के निर्देशों का पालन कराने में पुलिस का सहयोग करें साथ ही आने वाले त्योहारों को सद्भावना के साथ मनाते हुए में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस का सहयोग करने अपील की गई है। तथा हिदायत दी गई है कि उद्दंडता तथा अराजकता फैलाने वालो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

तीसरी रेलवे लाइन समपार निर्माण कार्य हेतु रात में बंद रहेगा शहडोल- उमरिया मार्ग

उमरिया, देशबन्धु। शहडोल -कटनी रेल खंड में तीसरी रेलवे लाइन के रेलवे फाटक में आवश्यक निर्माण कार्य किये जाने के लिए आगामी रात 10 बजे से 25/2/25 से सुबह 03 बजे 26/02/2025 तक 5 घंटे तक निर्माण कार्य संचालित किया जाना सुनिश्चित हुआ है तीसरी लाइन के निमार्ण हेतु नौरोजाबाद में स्थित समपार क्रमांक बी के 83(पठारी फाटक) कों जिससे पूर्ण रूप से वाहनों का आवागमन बंद रहेगा इस दौरान ग्राम पठारी रेल्वे पुलिया अंडर पास क्रमांक 165 से आवागमन जारी रहेगा।

इस आशय का पत्र क्रमांक /नि/शहडोल/क्व्य 83कार्यालय उप मुख्य अभियंता निर्माण द पूर्व मध्य रेलवे शहडोल निर्माण रेलवे स्टेशन के पास स्टेशन के पास शहडोल के व्दारा कलेक्टर उमरिया को पत्र लिखकर सूचित किया है कि 25/2/2025 को रात 10 बजे से 26/2/2025 को सुबह 03 बजे तक समपार फाटक क्र 83 जो कि शहडोल -उमरिया के बीच तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है,जिसके लिए सड़क मार्ग का आवागमन प्रभावित होगा ।, इसके लिए समपार फाटक के पास स्थित। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक उमरिया और एसडीएम बांधवगढ़ कोतवाली उमरिया मुख्य नगरपालिका अधिकारी उमरिया- को भी विधिवत रूप से प्रेषित किया गया है।

टेंट लगाते करंट से मजदूर की मौत

नौरोजाबाद, देशबन्धु। उमरिया जिले के नोरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम रहठा निवासी ओम प्रकाश पिता सन्तोषी काछी उम्र 27 वर्ष की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे हुए इस हादसे को लेकर बताया जाता है कि स्थानीय विनय साहू के मकान का ग्रह प्रवेश कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम के लिए टेंट आदि लगाया जा रहा था।

इसी दौरान ऊपर से गुज़र रही 11 हजार केवी विद्युत प्रवाहित तार टेंट पाइप से टकरा गई,बताया जाता है कि इसी दौरान मृतक हैवी करेंट की चपेट में आ गया,और उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई।हादसे के बाद सम्बन्धित नोरोजाबाद पुलिस को जानकारी दी गई है, हालांकि पुलिस फिलहाल घटना स्थल मे पहुंच कर आवश्यक कार्यवाही में जुट गई गई है।हादसे के बाद से ही परिजनों का रोरोकर बुरा हाल है,वही पूरे गांव में इस घटना के बाद से ही मातम पसरा है।

टेंट संचालक को किसी भी स्थान मे टेंट लगाने के लिए सही स्थान का चयन करना चाहिए, टेंट वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पर न तो ऊपर से हाई वोल्टेज की विद्युत सप्लाई गई हो, और न ही नदी नालो का किनारा हो, टेंट लगाते समय इन्ही जगहों पर हमेशा ही मजदूर घटना का शिकार हो जाते है जिसका उदाहरण ग्राम रहठा की घटना है जिसमे एक घर का चिराग बुझ गया, टेंट संचालकों को चाहिए की जो मजदूर टेंट लगाने का कार्य करते है तो स्थल मे उनके सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए, जैसे पाईप गड़ाते समय ग्लव्स का होना बहुत ही आवश्यक है। साथ मजदूरों को हेलमेट लगाना भी आवश्यक है इसके अलावा फास्टेस्ट किट रखना आवश्यक है

श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक संपन्न

ब्यौहारी, देशबन्धु। ब्यौहारी- दिनांक 23/02/2025 को उच्च विश्रामगृह बाणसागर में ब्लाक ईकाई ब्यौहारी की बैठक संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष डां अशोक तिवारी द्वारा की गई बैठक में संगठन विस्तार के संबंध में चर्चा करने के -साथ कई पत्रकार साथियों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की बैठक में प्रमुख रूप से डॉ अशोक तिवारी, मोहम्मद फाखिर चांद, राज बहोर यादव, विकास यादव, धीरेंद्र सिंह ,उमेश शुक्ला अंबुज द्विवेदी, रामबरन पांडे सहित कई पत्रकार साथी उपस्थित थे।

स्कूल बसों के संचालन में सुरक्षा मापदंडों की अनदेखी

क्षमता से ज्यादा छोटे वाहनों में बैठाए जा रहे छात्र

मझौली सीधी, देशबन्धु। स्कूल वाहनों के संचालन में सुरक्षा मापदंडों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। स्कूली वाहनों के लिए जो सुरक्षा मापदंड निर्धारित किए गए हैं उनका पालन होता नहीं दिख रहा है। जिले की 90 प्रतिशत निजी स्कूलें ऊंचे संरक्षण में संचालित हो रही हैं। इसी वजह से इनके वाहनों पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती। अगर किसी विभाग द्वारा निरीक्षण शुरू भी किया जाता है तो फोन अधिकारियों के पास बजने लगते हैं। इसी वजह से अधिकारियों द्वारा स्कूली वाहनों की न तो जांच की जाती और न ही कमी मिलने पर कोई कार्यवाही हो पाती है।

इसी लापरवाही के चलते ही बीच-बीच में बड़े हादसे भी सामने आते हैं। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचलों में नजर दौड़ाई जाय तो कई अनफिट स्कूले बसें दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। स्कूलों के छोटे वाहनों में भी बच्चों को ठूंस ठूंसकर बैठाया जाता है। बच्चों को लाने एवं ले जाने के कार्य में दर्जनों आटो रिक्शा भी लगे हुए हैं। जिनके द्वारा छोटे बच्चों को लापरवाहीपूर्वक ठूंस ठूंसकर बैठाया जाता है। इस पर न तो अभिभावक ध्यान दे रहे हैं और न ही स्कूल संचालक अपने मनमानी पर अंकुश लगा रहे हैं। यदि किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा तो उस दौरान अभिभावक भी चिल्लाने लगेंगे और स्कूल प्रबंधन भी अपनी लापरवाही को लेकर बचाव करना शुरू कर देगा। जानकारों के अनुसार जिले के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूल वाहनों में तो और भी ज्यादा लापरवाही बनी हुई है। अधिकांश स्कूली वाहनों के पास फिटनेस नहीं है। इनके अंदर न तो सीसीटीव्ही कैमरे लगे हुए हैं और न ही फर्स्ट एड बॉक्स है।

अभिभावक भी अपने छोटे बच्चों को मैजिक एवं आटो रिक्शा में स्कूल भेज रहे हैं। मैजिक एवं आटो रिक्शा में जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैठाने के लिए मैजिक एवं आटो रिक्शा में उन्हे ठूंस ठूंसकर बैठाया जाता है। नौनिहाल स्कूल जाते एवं आते वक्त भारी भरकम बैग भी लेकर असुरक्षित रूप से आटो रिक्शा एवं मैजिक में लिए रहते हैं। इन्हे देखकर ऐसा लगता है कि कभी भी यह हादसे के शिकार हो सकते हैं। वाहन चालक काफी तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक गाड़ी दौड़ते है।

स्कूल वाहनों के संचालन में ये हैं जरूरी

स्कूल वाहनों के संचालन में कई सुरक्षा मापदंडों को निर्धारित किया गया है।लेकिन इनमें सीसीटीव्ही कैमरा, जीपीएस ट्रैकर, अग्निशमन यंत्र, मेडिकल किट, वाहन का परमिट, फिटनेश सार्टिफिकेट, प्रदूषण वैधता प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लायसेंस, एक पुरुष एवं महिला हेल्पर, साइड में तीन पाइप होनी चाहिए, सीट बेल्ट होनी चाहिए। बस के पीछे स्कूल का नाम और मोबाइल नम्बर लिखे होने चाहिए, स्पीड गर्वनर लगा होना चाहिए। बस की वैधता होनी चाहिए, ड्राइवर का पुलिस व्हेरिफिकेशन होना चाहिए।

चालक को कम से कम पांच साल का वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। स्कूल बस पीले रंग से पेंट होनी चाहिए। बस के आगे व पीछे ऑन स्कूल ड्युटी लिखा हो। शीशों के साथ ही लोहे के पाइप व जाली लगी होनी चाहिए। स्कूल वाहन की गति शहरी क्षेत्र के बाहर 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। दरवाजे में ताला लगा हो और सीटों के बीच पर्याप्त जगह होनी चाहिए। उक्त सुरक्षा मानदंडों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी सीधी जिले में कोई पहल नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से स्कूल वाहनों का संचालन मनमानी तरीके से किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधक भारी भरकम फीस वाहनों का लेने के बाद भी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह से लापरवाह हैं। स्कूली बच्चों को लेकर चलते हैं। स्पीड ब्रेकर एवं ऊबड़-खाबड़ रास्तों में भी आटो रिक्शा चालक अपनी बाजीगीरी दिखाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही देखी जा रही है उससे कभी भी नौनिहाल हादसे के शिकार हो सकते हैं। उस दौरान जिम्मेदारों को भी सही तरीके से जवाब देते नहीं बनेगा।

दरअसल स्कूल से संबद्ध वाहनों के लिए भारी भरकम शुल्क प्रबंधन द्वारा वसूला जाता है। लेकिन एक ही सीट में कई बच्चों को बैठाया जाता है, जिससे बच्चों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जो आटो रिक्शा एवं मैजिक स्कूली बच्चों को स्कूल लाते एवं घर पहुंचाते हैं। उनमें सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा लापरवाही देखी जा रही है। अभिभावकों से ज्यादा से ज्यादा शुल्क वसूलने के बाद भी आटो चालक एक साथ दर्जनों बच्चों को ठूंस ठूंसकर बैठाते हैं। इस वजह से छोटे बच्चों को स्कूल और घर के बीच आटो रिक्शा में सफर के दौरान काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। हैरत की बात तो यह है कि ओवर लोड आटो रिक्शा में अभिभावक भी बच्चों को खुशी- खुशी बैठाते हैं। वे यह नहीं देखा जाता कि ओव्हर लोड आटो रिक्शा में सफर करने के दौरान यदि कोई हादसा हो गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा।